

ज्यादा दाम वसूली और कालाबाजारी के वीडियो के जरिए की जा सकेगी शिकायत, जिला प्रशासन ने जारी किए व्हाट्सअप हैल्पलाइन नम्बर - हैल्पलाइन नम्बर ०: 9950044220 -शिकायत प्रमाणन में दोषी विक्रेताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

District : dipr

Department :

VIP Person : General

Press Release

State News

Attached Document :

01-04-2020-11.docx (<http://103.203.138.54/news/205614/document/01-04-2020-11.docx>)

DESCRIPTION

ज्यादा दाम वसूली और कालाबाजारी के वीडियो के जरिए की जा सकेगी शिकायत,

जिला प्रशासन ने जारी किए व्हाट्सअप हैल्पलाइन नम्बर

- हैल्पलाइन नम्बर ०: 9950044220

-शिकायत प्रमाणन में दोषी विक्रेताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

जयपुर, 1 अप्रैल। जिला प्रशासन ने किराना, दूध, मास्क, सेनेटाइजर, दवाओं एवं अन्य आवश्यक सामानों के लिए निर्धारित कीमत से ज्यादा राशि लेने, कालाबाजारी, निर्धारित से ज्यादा स्टॉक रखने पर दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही हेतु एक वास्ट्सप हैल्पलाइन (9950044220) जारी की है।

जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम ने बताया कि इस हैल्पलाइन पर कोई भी आम व्यक्ति कालाबाजारी या ज्यादा दाम वसूली किए जाने का वीडियो रिकॉर्ड कर डाल सकता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर के उपनिदेशक श्री ऋतेश शर्मा ने बताया कि यह हैल्पलाइन नम्बर एक व्हाट्सअप गुरुप का है जिसमें अन्य उच्चाधिकारियों, एसडीएम के साथ ही रसद अधिकारी, रसद इंस्पेक्टर्स, प्रवर्तन अधिकारी, बाट एवं माप प्रवर्तन निरीक्षक को भी जोड़ा गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ भी शामिल होंगे। गुरुप में शिकायत मिलने पर उसे प्रमाणित कर दोषी विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार अन्य सुसंगत प्रावधानों सहित डीएम एकट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

SUPPORTING IMAGES